न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

कैम्प :- ग्राम पंचायत
चितलवाना
दिनांक 30.06.2023

आदेश।

प्रार्थीगण गोरखाराम, जेताराम, दलाराम, शंकराराम पि० जीवाराम जाति माली निवासी रामपुरा ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय रामपुरा ~~में~~ दिनांक 29.06.2023 में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की हम प्रार्थीगण के नाम मौजा चितलवाना में खसरा संख्या 5044/1460 रकबा 0.17 हैक्टर भूमी आयी हुई है जिसकी किस्म द्वितीय-भू-प्रबन्ध द्वारा बारानी तृतीय से बिना विधिक अधिकार गैर-मुमकिन आबादी दर्ज कर दी तथा बाद में गैर-मुमकिन आबादी से गैर-मुमकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई है। अतः पुनः नवीन खसरा 5044/1460 रकबा 0.17 हैक्टर की किस्म गैर-मुमकिन से बारानी सोयम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार, चितलवाना को आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार, चितलवाना से करवाई गई जिस अनुसार उक्त खसरा प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिसकी किस्म गैर-मुमकिन राजस्व रिकॉर्ड में है। उक्त खसरा संख्या 5044/1460 का सृजन जरिये बट्वाड़ा खसरा संख्या 1460 से हुआ है तथा खसरा संख्या 1460 के पुराना खसरा संख्या 1090 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय थी। द्वितिय भू-प्रबन्ध के दौरान बिना विधिक संपरिवर्तन पुराने खसरा 1090 से नवसृजित खसरा संख्या 1460 रकबा 0.34 हैक्टर की किस्म बारानी तृतीय से गै० मु० आबादी दर्ज की गई है। अतः मौजा चितलवाना के खसरा संख्या 5044/1460 रकबा 0.17 हैक्टर की किस्म "गैर-मुमकीन" से "बारानी सोयम" किया जाना उचित है।

तहसीलदार, चितलवाना की जांच रिपोर्ट एव प्रार्थना पत्र के सलंग्न दस्तावेज के आधार पर मौजा चितलवाना के खसरा संख्या 5044/1460 रकबा 0.17 की किस्म "गैर-मुमकिन" से "बारानी सोयम" संशोधित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे हेतु तहसीलदार चितलवाना को आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:46:33 IST
Reason: SelfAttested

30/6/23
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना